

अवकाश नाम
 प्रकार का संख्या / अन्तर्गत धारा

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	पान नं. १ पान
--------	-----------------------------------	---------------------

NOT Recd
14/5/22
Sury

14/5

जाय वह पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक न्यायालय में पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित आए। वादी/प्राथी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में वादीगण/प्राथीगण का अप्राथीगण से रोजीनामा हो गया है। प्राथीगण अधिवक्ता द्वारा प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R1A को प्रेषित किया।

प्राथीगण अधिवक्ता को सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्राथीगण का अप्राथीगण से लोक न्यायालय की शपथ से रोजीनामा हो गया है। प्राथीगण प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R1A को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। लिहाज प्राथीगण का प्राथीना पत्र अन्तर्गत धारा 213 R1A इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विपद्याला दिनांक 06/05/21 निरस्त की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर गवर्नर से काम होकर नरिखल रकतर् हो।

3/2
 सदस्य



साक्षरता विधिक सेवा समिति
 (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
 श्रीकरणपुर कूट सं. -060034